एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 02, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2022)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

किसान क्रेडिट कार्ड (फसली ऋण) का किसानो के लिए महत्व

(*श्री हिमांशु पाण्डेय[1], डा. अजय कुमार साह[1], डा. राहुल कुमार राय[2] एवं डा. बृजेश गुप्ता[2])
[1]भाकृअनुप-भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
[2]बांदा कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय, बांदा, उत्तर प्रदेश
*संवादी लेखक का ईमेल पता: himanshu7524@gmail.com

देश के किसानों की जरुततो एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1998 में भारत सरकार ने बतौर तोफा किसानों के लिए महत्वाकांक्षी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लायी थी जो एक अग्रणीय ऋण वितरण प्रणली है। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय कृषि विकास बैक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर0बी0आई0) द्वारा की गयी थी। जिसके अन्तर्गत किसान फसली ऋण जैसे कृषि उपकरणों, खाद, बीज, कीटनाशकों, रसायनों आदि की खेती सम्बन्धित तमाम जरुरतो की पूर्ति कर सकता है और फसल उत्पादन को बेचकर ऋण की अदायगी कर सकता है।

इसके अतिरिक्त किसान, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपनी घरेलू जरुरतों जैसे रोजगार, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि के लिए किसान अल्पाअवधि ऋण ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान 50 हजार से 03 लाख तक का ऋण ले सकता है परन्तु एक किसान को उसकी भूमि के आधार पर कितना कर्ज मिल सकता है, यह किसान की आय, ऋण अदायगी का रिकार्ड, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र पिछली फसल का उत्पादन, भूमि की उर्वरता और खेत को फिर सें कृषि योग्य बनाने में लगने वाली लागत के आधार पर ऋण की रकम तय की जाती है,

राज्यवार किसानों को दिए गये किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या (दिनांक 31 मार्च, 2018 तक)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आपरेटीव किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या
1.	अण्डमान और निकोबार	288
2.	आन्ध्रप्रदेश	1874715
3.	महाराष्ट्र	2203906
4.	उत्तर प्रदेश	4225532
5.	पश्चिम बंगाल	1004036
6.	कुल	9308477

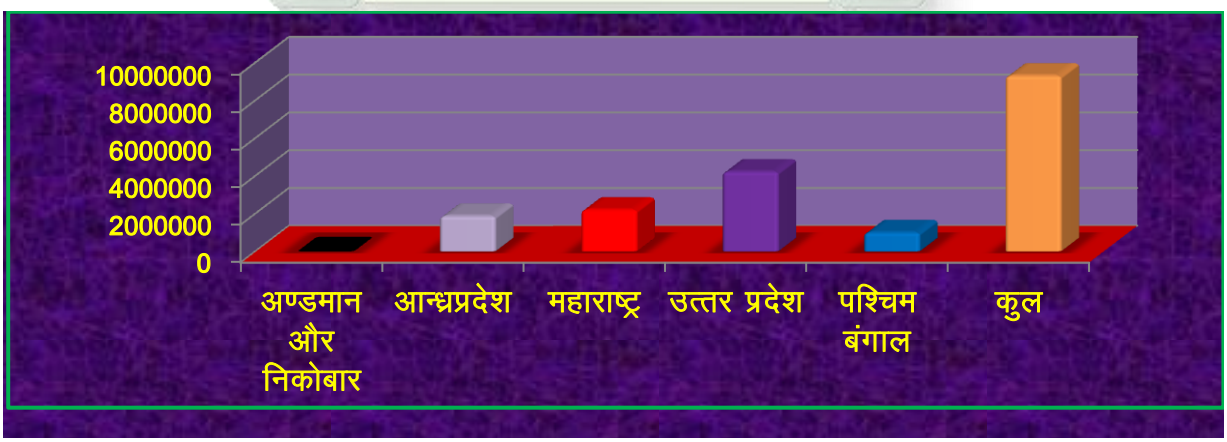

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत हर किसान को एक क्रेडिट कार्ड जारी करने का प्राविधान उनकी भुमि के आकार के अधार पर बैंकों को दिया गया है, जिसके अन्तर्गत किसान को एक किसान क्रेडिट कार्ड दिये जाने का प्राविधान है जिसमें नाम, पता, भूमि का आकार, ऋण की सीमा कार्ड की वैधता अवधि इत्यादि को शामिल किया जाता है और बैंक द्वारा किसान को एक पास बुक जारी किया जाता है जो पहचान पत्र के साथ–साथ वित्तिय लेनदेन हेतु उपयोग में लाया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले ब्याज का प्रतिशत काफी कम होता है तथा किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा दिए जाने वाले ऋण मुख्य रुप से दो प्रकार के होते है।

1. फसली ऋण हेतु एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर 05 वर्ष के लिए वैध होता है और 03 लाख रुपये तक अल्पाअवधि जो फसल कर्ज है किसान ले सकता है, इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 07 प्रतिशत होती है, लेकिन कोई किसान एक वर्ष के अन्दर ऋण की अदायगी कर देता है तो उसको तीन प्रतिशत की छूट मिलती है। इस प्रकर से किसान को ऋण पर 04 प्रतिशत ही ब्याज देना पड़ता है।
2. मियादी ऋण या टर्म लोन के अन्तर्गत 03 लाख रुपये से अधिक धनराशि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिया जाता है जो बैक पर निर्भर करता है और किसान को इसमें किसी प्रकार की रियायत बैक द्वारा नही दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज

- ❖ किसान का अधार कार्ड।
- ❖ किसान कि जोत से संबन्धित दस्तावेज (खतं
- ❖ वर्तमान में बोई गयी फसल से सम्बन्धित द (खसरा)।
- ❖ प्रस्तावित अथवा बोई जाने वाली फस सम्बन्धित सूचना।
- ❖ बारह साल से जमीन किसके नाम है दस्तावेज।

किसान क्रेडिट कार्ड की विषेषताएं

- ➢ दिनांक 01 जून, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा किया गया तथा दिनांक 14 अगस्त, 1998 किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रभावी रुप से अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।
- ➢ किसान क्रेडिट कार्ड धारक के लिए दिनांक 14 जून, 2001 को अंतिम दुर्घटना बीमा योजना (पी0ए0 आई0एस0) की शुरुआत की गयी ।
- ➢ दिनांक 09 अगस्त, 2004 से कृषि एवं कृषि से संम्बन्धित गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गयी एवं कार्ड की वैधता तीन वर्ष से बढ़ाकर पॉच वर्ष तक कर दी गयी।
- ➢ दिनांक 06 जून, 2006 को वर्ष 2006–07 के बजट में किसानों की अल्पकालीक ब्याज की राशि की ऊपरी सीमा पर सात प्रतिशत तक निर्धारित की गयी जोकि किसान क्रेडिट कार्ड अधिकतम सीमा तीस लाख होगी।
- ➢ दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 को किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को लम्बी अवधि हेतु ऋण योजना ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरुआत की गयी।
- ➢ दिनांक 29 मार्च 2012 को किसान क्रेडिट कार्ड को धन के नए घटकों हेतु समग्र ऋण दस प्रतिशत, उपभोग और संपत्तियो के रख रखाव के लिए ब्याज की दर बीस प्रतिशत शामिल करके संसोधित व्यापक किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गयी।
- ➢ दिनांक 09 नवम्बर, 2012 को किसान क्रेडिट कार्ड को अंतर्देशीय RuPay कार्ड के रुप में जारी किया गया। तथा दिनांक 15 नवम्बर, 2012 में सभी पुराने किसान क्रेडिट कार्ड को ATM- Debit / RuPay Card में बदलने का निर्णय लिया गया।

- दिनांक 01 अगस्त, 2014 में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पास बुक, MicroATM-Debit/RuPay किसान कार्ड के माध्यम से आई0टी0सी0 को प्रोत्साहन दिया गया। तथा दिनांक 08 जुलाई, 2015 को किसान क्रेडिट कार्ड धारक, को अटल पेंशन योजना (APY) में समिम्लत किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व

- किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रक्रिया इतनी असान होती है कि एक कम पढ़ा लिखा अशिक्षित व्यक्ति भी असानी से ऋण प्राप्त कर सकता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसान तुरन्त बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत इन्ष्योरेंश कवरेज भी दिया जाता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण लेने पर फसल बीमा की भी सुविधा उपलब्ध होती है।
- प्रकुतिक अपदा, रोग कीटों से फसल बर्वाद होने कि स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को सहायता प्रदान करता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड धारको को दुर्घटना बीमा कवर भी दिया जाता है। जिसके तहत कृषि कार्यो के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये व विकलांग होने पर 25 हजार रुपये बतौर मुआवजा देने का प्राविधान है तथा यह कवर किसान की 70 वर्ष की उम्र तक ही मान्य है।
- किसान क्रेडिट कार्ड, किसान के लिए एक परिचय पत्र के तौर पर भी कार्य करता है।